196

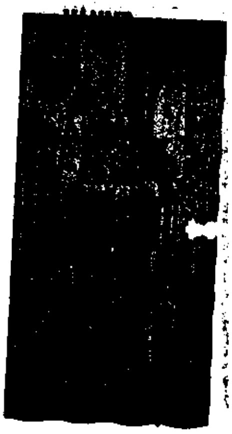

न्यायालय : राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रं0 : R U 3444-II-16

गोपाल सिंह परिहार पुत्र श्री दलप्रताप सिंह परिहार निवासी ग्राम जमोड़ी कला तहसील जिला सीधी (म0 प्र0) । - आवेदक

बनाम

1- ददद् सिंह पुत्र श्री दलप्रताप सिंह परिहार, निवासी ग्राम मुठिया तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0) ।

- अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0 प्र0 भू0 रा0 सं01959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-11-2016 द्वारा पारित सम्माननीय सदस्य (श्री एस0 एस0 अली) प्रकरण क्रं0 आर 1245/प्रथम/12/सीधी के निर्णय से दु:खित होकर ।

============

श्रीमान् जी,

निवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, आवेदक द्वारा सर्वे नं0 515 रकबा 0.15 डिसमिल के संबंध में एक आवेदन-पत्र स्थित ग्राम जमोड़ी कला तहसील गोपदबनास के संबंध में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त सर्वे नम्बर के संबंध में बटा कायमी व नक्शा तरमीम की कार्यवाही चाही, जिस पर से तहसीलदार गोपदबनास द्वारा मौके की स्थल रिपोर्ट मंगाकर आवेदक को बगैर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर न देते हुए तथा प्रकरण को पेंडिंग कर आदेश पारित किया जिसकी सूचना मुझ आवेदक को न्यायालय द्वारा नहीं दीगई । जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश [illegible] विवादित के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4244—दो/16 जिला— सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25.9.17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1245—एक/12 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4244—दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1245—एक/12 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.12.2016 से किया जा चुका है।	

रिव्यु प्रकरण कमांक 4244—दो/16 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य